न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी:– जय कौशिक(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद : 88/53 आर.टी.ए.

नम्बर मुकदमा – 611/2025

1 छम्बर सिह पुत्र गुरमेल सिह जाति नाई निवासी बुगलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

2 गुरप्रीत सिह पुत्र जगतार सिह जाति नाई निवासी बुगलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादीगण

बनाम

1 जगतार सिह पुत्र गुरमेल सिह जाति नाई निवासी बुगलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

2 चरणजीत कौर पुत्री गुरमेल सिह जाति नाई निवासी बुगलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

3 जरनैल कौर पुत्री गुरमेल सिह जाति नाई निवासी बुगलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

4 अमनदीप कौर पुत्री जगतार सिह पत्नी सन्तपाल सिह जाति नाई निवासी 1 पी. एस. रिडमलसर तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर

5 सन्दीप कौर पुत्री जगतार सिह पत्नी जगसीर सिह जाति नाई निवासी बुर्ज जवाहर सिह वाला तहसील जैतों जिला फरिदकोट

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

– प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादी

श्री चरणजीत सिह सिद्धू – अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 5

निर्णय

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 आर. टी.ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी व प्रति स. 1 ता 5 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है।वादी स. 1 व प्रति स. 1 ता 3 के नाम चक 29 ए.एम.पी. खाता स. 18/35 खाता चरणजीत कौर वगैरा ज.स. 2072–75 व चक 21 एम.जे.डी. खाता स. 35/123 खाता चरणजीत कौर वगैरा ज.स. 2072–75 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी वादी स. 1 व प्रति स. 1 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी हमारी जद्दी जायदाद है।प्रति स. 2 व 3 ने उक्त चको में अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी स. 1 व प्रति स. 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। अतः उक्त चको के उक्त खातों मे प्रति स. 2 व 3 का कोई हक व हिस्सा शेष नही है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी स. 1 व प्रति स. 1 प्राप्त करने के अधिकारी व दावेदार है। दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी में प्रति स. 1 के नाम दर्ज आराजी में वादी स. 2 व प्रति स.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

4 व 5 का जन्म से ही विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। प्रति स. 4 व 5 ने अपने समस्त विरास्तन हक व हिस्सा का परित्याग वादी स .2 व प्रति स. 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। अतः उक्त आराजी में प्रति स. 4 व 5 का कोई हक व हिस्सा नही है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी स. 2 व प्रति स. 1 प्राप्त करने के अधिकारी व दावेदार है। दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादीगण व प्रति स. 1 ने आपस में काश्त की सुविधानुसार दावा की दफा 6 के अनुसार घरू विभाजन कर रखा है। मुताबिक घरू विभाजन वादीगण व प्रति स. 1 मौका पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।वादीगण व प्रति स. 1 इसी अनुसार अपना खाता विभाजन करवाना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी के वादीगण व प्रति स. 1 को दावा की दफा 4 व 5 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवा हमारा खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग कायम करवा देवे तो पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन अन्त मे वे वादीगण के उक्त निवेदन से स्पष्ट इन्कारी हो गये। बस यही वाद कारण है।अतः चक 29 ए.एम.पी. खाता स. 18/35 खाता चरणजीत कौर वगैरा ज.स. 2072–75 में दर्ज कुल 0.379 है0 आराजी का प्रति स. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त समस्त आराजी का खाता प्रति स. 1 के नाम से अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे व चक 21 एम.जे.डी. खाता स. 35/123 खाता चरणजीत कौर वगैरा ज.स. 2072–75 में दर्ज कुल 4.4780 है0 आराजी मे से 2.296 है0 आराजी का वादी स. 1 को व 1.518 है0 आराजी का वादी स. 2 को व 0.664 है0 आराजी का प्रति स. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खातो से प्रति स. 2 व 3 का नाम कलमजन किया जावे।उक्त आराजी में प्रति स. 2 ता 5 का कोई हक व हिस्सा नही है। वादीगण व प्रति स. 1 का खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग कायम किया जाकर इसी अनुसार रकमराज अलग कायम की जावे।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद– पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रति स. 1 ता 5 ने सहमति का जवाब दावा पेश किया।जो शामिल मिसल है। प्रति स. 6 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया । जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी.पेश किया गया।जो शामिल मिसल है।वकील वादीगण व प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि चक 29 ए.एम.पी. खाता स. 18/35 खाता चरणजीत कौर वगैरा ज.स. 2072–75 में दर्ज कुल 0.379 है0 आराजी का प्रति स. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त समस्त आराजी का खाता प्रति स. 1 के नाम से अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे व चक 21 एम.जे.डी. खाता स. 35/123 खाता चरणजीत कौर वगैरा ज.स. 2072–75 में दर्ज कुल 4.4780 है0 आराजी मे से 2.296 है0 आराजी का वादी स. 1 को व 1.518 है0 आराजी का वादी स. 2 को व 0.664 है0 आराजी का प्रति स. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खातो से प्रति स. 2 व 3 का नाम कलमजन किया जावे।उक्त आराजी में प्रति स. 2 ता 5 का

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी

कोई हक व हिस्सा नही है व वादीगण व प्रति स. 1 का खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग कायम किया जाकर इसी अनुसार रकमराज अलग कायम की जावे। जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने सहमति व्यक्त की है। इस आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किया जावे।

दस्तावेजो का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया।चक 29 ए.एम.पी. खाता स. 18/35 खाता चरणजीत कौर वगैरा ज.स. 2072–75 में दर्ज कुल 0.379 है0 आराजी का प्रति स. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त समस्त आराजी का खाता प्रति स. 1 के नाम से अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे व चक 21 एम.जे.डी. खाता स. 35/123 खाता चरणजीत कौर वगैरा ज.स. 2072–75 में दर्ज कुल 4.4780 है0 आराजी मे से 2.296 है0 आराजी का वादी स. 1 को व 1.518 है0 आराजी का वादी स. 2 को व 0.664 है0 आराजी का प्रति स. 1 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर उक्त खातो से प्रति स. 2 व 3 का नाम कलमजन किया जावे।उक्त आराजी में प्रति स. 2 ता 5 का काई हक व हिस्सा नही है। वादीगण व प्रति स. 1 का खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग कायम किया जाकर इसी अनुसार रकमराज अलग कायम की जावे।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 29 ए.एम.पी. खाता स. 18/35 खाता चरणजीत कौर वगैरा ज.स. 2072–75 में दर्ज कुल 0.379 है0 आराजी का प्रति स. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त समस्त आराजी का खाता प्रति स. 1 के नाम से अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे व चक 21 एम.जे.डी. खाता स. 35/123 खाता चरणजीत कौर वगैरा ज.स. 2072–75 में दर्ज कुल 4.4780 है0 आराजी मे से 2.296 है0 आराजी का वादी स. 1 को व 1.518 है0 आराजी का वादी स. 2 को व 0.664 है0 आराजी का प्रति स. 1 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर उक्त खातो से प्रति स. 2 व 3 का नाम कलमजन किया जावे।उक्त आराजी में प्रति स. 2 ता 5 का काई हक व हिस्सा नही है। वादीगण व प्रति स. 1 का खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग कायम किया जाकर इसी अनुसार रकमराज अलग कायम की जावे।दावा की दफा 6 निम्नप्रकार से है:–

ए. <u>वादी स. 1 छम्बर सिह पुत्र गुरमेल सिह का कब्जा:–</u>

चक 21 एम.जे.डी. खाता स. 35/123

96/180 20 3/1/0.076 3/2/.019 गै.मु.रास्ता 4/1/0.063 = 0.158 है0

96/182 46 17/1/.114 = 0.114 है0

97/181 28 16/1/.215 16/2/.038 गै.मु.रास्ता 17–18–19–21–22–23–24/.253प्र = 2.024 है0

बी. <u>वादी स. 2 गुरप्रीत सिह पुत्र जगतार सिह का कब्जा:–</u>

चक 21 एम.जे.डी. खाता स. खाता स. 35/123

89/181 36 12–13–18–19–22–23/.253प्र = 1.518 है0

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

सी. प्रति स. 1 जगतार सिह पुत्र गुरमेल सिह का कब्जा:-

चक 29 ए.एम.पी. खाता स. 18/35

88/180 56 4/.253 5/1/.126 = 0.379 है0

चक 21 एम.जे.डी. खाता स. 35/123

88/181 37 25/1/.113 25/3/.013 गै.मु.खाला = 0.126 है0

99/180 23 1/1/.215 1/2/.038 गै.मु.रास्ता

2/1/.108 2/3/.019 = 0.380 है0

96/180 20 3/1/.139 3/1/.019 गै.मु.रास्ता = 0.158 है0

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 12-01-2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया